

इंटर ऑफिस मेमो

दिनांक: 30.06.2017

प्रेषक: डीके गुप्ता(महाप्रबंधक प्रशासन)	प्राप्तकर्ता :अन्य सभी संबंधित (मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय)
---	--

विषय: जीएसटी के कार्यान्वयन को देखते हुए वस्तुओं/आपूर्तियों की खरीद

1. जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया है, जिसके कारण कुछ आपूर्तियों से निपटने की प्रक्रिया में बदलाव आवश्यक हो गया है। सभी संबंधित पक्षों के ध्यान में लाया जाता है कि कृपया अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से माल की खरीद से बचें क्योंकि इससे हडको को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत जीएसटी जमा करना पड़ेगा और उनकी ओर से टैक्स इनवॉयस/रिटर्न बिलिंग आदि जारी करके अनुपालन में भी वृद्धि होगी।
2. कृपया पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के साथ हडको के नाम से बिल जारी करने की व्यवस्था करें, जिसमें संबंधित जीएसटीआईएन नंबर चालान में शामिल हो और भुगतान हडको द्वारा सीधे किया जाए। अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से माल/आपूर्ति की खरीद के कारण कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति से बचा जा सकता है क्योंकि इस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत जीएसटी का भुगतान भी करना होगा। तदनुसार, सभी से अनुरोध है कि ऐसी खरीद/आपूर्ति से निपटने के लिए एक तरीका तैयार करें।

डी.के. गुप्ता
(महाप्रबंधक प्रशासन)

अन्य सभी संबंधित
(मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय)